प्रपत्र-

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना (झालावाड़)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट कॉन्सलेव.

पीठासीन अधिकारी :- श्री दीनदयाल बाकोलिया (RAS) उपखण्ड अधिकारी म.थाना.

वादी :- 1. गेन्दीलाल 3. पान्या बाई जनवान 1. भुवाना S/o गेन्दा मृतक का.मु. लालचन्द S/o भुवाना वगैरह 2. हजारीलाल S/o गेन्दा 3. रामीबाई मार्फत मूला भंगी बाई जाति लोधा

बनाम S/o गेन्दा मृतक 4. सूरीराम आत्मज्ञानीबाई 5. देवलाल आत्मज्ञानीबाई 6. नर्बदी बाई आत्मज्ञानी का पिसरान बीरम ब्राह्मण जाति लोधा R/o दाबा 7. सरकार जब तहसीलदार म.थाना

धारा 91, 53 R.T.A.

मुकदमा नम्बर :- 42/दाबा/02

निर्णय दिनांक :- 27/6/17

वादी की ओर से ....स्वयं.... की व प्रतिवादी की ओर से ....स्वयं....

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....27/6/17.... को ..... (नाम पीठासीन अधिकारी) .....के स मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

पक्षकारों की आपसी सहमति की आधार पर ग्राम दाबा तह. म.थाना के भाग की खाता सं. 104 की 3 किता की 7.18 बीघा आराजी में से वादी खातेदार भंवरीबाई से हिस्से की 1/2 भाग आराजी का वादीगण का खातेदार तौर पर घोषित किया जाता है तथा वादीगण के हिस्से की 1/2 भाग आराजी वादीगण के पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार म.थाना. को नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन हेतु कार्यवाही करावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें गे।

यह आज तारीख 27/6/17..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अध्यक्ष लोक अदालत मनोहरथाना (झालावाड़))

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	